



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
 श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
 MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.बी.सी.सी. सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023
 NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
 Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या एचआरएम-1/ए-8(1)2025/आरपीएफसी-1/684

दिनांक: 01 जुलाई 2025

कार्यालय आदेश

विषय: नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर पदोन्नति के लिए 12.02.2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर, माननीय अध्यक्ष, कें.न्या.बो, क.भ.नि, श्री जोगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (तदर्थ) और श्री तेज प्रताप सिंह यादव, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (तदर्थ) को पैनेल वर्ष 2025 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर नियुक्ति को मंजूरी देते हैं।

2. नियमित पदोन्नति पर, अधिकारियों की नियुक्ति का स्थान आदेश संख्या एचआरएम-1/टी-1(1)2025/भाग-1/611 दिनांक 27/03/2025 के अनुसार होगा। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. अधिकारियों की वरिष्ठता, क.भ.नि. स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा: "ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति की जाती है, वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य है, तथा जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक महीने के भीतर किया जाना है।"

5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के रूप में अधिकारियों की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, एचआरएम, मुख्यालय को ईमेल rc1.hrm@epfindia.gov.in के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

6. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति माननीय कैट, पटना के समक्ष दायर ओए संख्या 435/2021 (संबंधित एमए) और माननीय कैट, पटना पीठ के समक्ष दायर सीपी संख्या 19/2024 के परिणाम के अधीन है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में।

1. श्री जोगेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (प्र.से.प्र के माध्यम से)
2. श्री तेज प्रताप सिंह यादव, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (आंचलिक कार्यालय, तेलंगाना के माध्यम से)

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

- i. माननीय अध्यक्ष, कें.नया.बो, क.भ.नि के निजी सचिव।
- ii. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
- iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
- iv. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव ।
- v. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय और अंचल/मुख्य अभियंता।
- vi. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एनडीसी)।
- vii. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
- viii. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दल/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
- ix. महासचिव, क.भ.नि अधिकारी संघ, लुधियाना।
- x. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
- xi. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)